

बनाम
द्वारा
प्र०सं०
195/2016

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 21-6-17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

21⁶/₁₇ पत्रावली राजस्थान कोर्ट केम्प भांगवा पर पेश हुई! पत्रावली में निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली ठिया गया!
पत्रावली जैसे नुमा होकर दया नम्बर से इन की आदेश
के

1. नदनलाल पुत्र सुखा दरोगा, निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. चांदी बाई पत्नी लाला दरोगा, निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. धर्मा पुत्र कल्ला रेबारी, निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. कालका माता डोली जरिये पुजारी बाबू पुत्र हीरा गाडरी, निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. कालका माता डोली जरिये पुजारी अलोली देवी पत्नी हीरा गाडरी, निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 21.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 30.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम एकलिंगपुरा, पटवार हल्का तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 296 रकबा 02-13 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02-13 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम एकलिंगपुरा, पटवार हल्का तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 296 रकबा 02-13 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02-13 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 300/- अक्षरे तीन सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।



(रिनु मीना आर०ए०एस०)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

भीलवाडा